Serial No. 4820 (Circle): NA

Book No. 4 Deed No. 8

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

V 339328

Serial No. 4820

Govt. of Bihar

Sub Registry Office ,Dalsinghsarai

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **08/08/2016** by **Rani Kumari (Setelor)**
A Stamp Duty of Rs. **5000**/- and other Fees of Rs. **2450**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **8** in Book No. **4**, Volume No. **1** on pages from **65** to **82** and has been preserved in total **18** pages in C.D. No. **1** / Year **2016**

Date: 08/08/2016

Token No: 4868 /2016

Signature with Date
(Rinki Kumari)
Registering Officer, Dalsinghsarai

वेदांत एडुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट,

न्यास--पत्र

यह न्यास पत्र आज दिनांक 08/08/ 2016 को स्थान, दल-सिंहसराय (बिहार) के द्वारा श्री मति रानी कुमारी पति-- श्री रामविशेष राय, ग्राम+पो0--भगवानपुर चकसेखू ,थाना--दलसिंहसराय,जिला--समरतीपुर (बिहार) के संस्थापक है, जो कि ट्रस्ट के संस्थापक / ट्रस्टी सदस्य के नाम से जाने जाएंगे।

दि: 08/08/2016

सही रानी कुमारी

Sub District Registry Office,Dalsinghsarai

Token Number 4868 | Reg. Year 2016 | Serial Number 4820 | Deed Number 8

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Trustee Sig.	Pawan Devi (Cashiar) पवन देवी 08/08/16						
Trustee Sig.	Ram Bishesh Roy (Sec.) राम बिशेष राय 08.08.2016						
Presented By Sig.	Rani Kumari (Setelor) रानी कुमारी 08/08/2016						
Trustee Sig.	Rani Kumari (Setelor) रानी कुमारी 08/08/2016						
Identified By Sig.	Gopal Choudhary गोपाल चौधरी 08/08/16						

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR S 843017

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिये होंगे और उसके आय को बिना किसी–पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग किया जायेगा । इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो।

4. न्यास में ट्रस्ट सदस्य की संख्याः न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेंगे।

5. न्यास का गठन :–

क्र0	नाम पिता/पति का नाम नाम	पता	पेशा	पद
1.	श्रीमति रानी कुमारी पति– श्री राम विशेष राय	ग्राम+पो0 भगवानपुर चकसेखू थाना–दलसिंहसराय जिला– समस्तीपुर पिन कोड–848114 मो. न.–8271723358	समाज सेवा	संस्थापक/ न्यासकर्ता

अवर निबंधक दलसिंहसराय (समस्तीपुर)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR S 843018

श्यामा कुमारी
सब रजिस्ट्री ऑफिस दलसिंहसराय
लाइसेंस नं0:-2/2001

2. श्री राम विशेष राय (महात्मा जी) पिता श्री रामानन्द राय	ग्राम+पो0–भगवानपुर चकसेखू थाना–दलसिंहसराय जिला– समस्तीपुर	समाज सेवा	ट्रस्टी सचिव
3. श्रीमती पवन देवी पति– श्री राम सुदिष्ट कुँवर	ग्राम+पो0 पिढ़ौली थाना–तेघड़ा जिला– बेगूसराय	समाज सेवा	ट्रस्टी कोषाध्यक्ष

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक/न्यासकर्त्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं। न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होंगे और इसके आय को बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग किया जायेगा। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

V 339329

हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी सुख –शांति, संगठन, सद्भाव आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए। इसके निमित प्रारंभ मुद्रा–1,00,000/– रूपये (एक लाख रूपये केवल) प्रदान करते हैं जो कि मैं निष्पादनकर्त्ता आजीवन संस्थापक के रूप में कार्यरत रहेंगे।

1. न्यास का नाम : वेदान्त एडुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट।

2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय : ग्राम– भगवानपुर चकशेखू पो0–दलसिंहसराय जिला–समस्तीपुर (बिहार)

3. न्यास का कार्यक्षेत्र : न्यास का कार्यक्षेत्र पूरा भारत

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक/न्यासकर्त्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

अवर निबंधक

संस्था का ज्ञापन

1. न्यास का नाम : वेदांत एडुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट

2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय : ग्राम– भगवानपुर चकशेखू
पो0+थाना– दलसिंहसराय
जिला– समस्तीपुर (बिहार)

3. ट्रस्ट का ध्येय एवं उद्देश्य :–

1. समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थान एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना। मेधावी गरीब छात्र–छात्राओं का प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना।
2. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमाजोर वर्गों, आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
3. एन.सी.वी.टी. (आई.टी.आई.) / एन.सी.टी.ई., बी. एड. प्रशिक्षण के कार्यक्रम का संचालन करना।
4. शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल एवं अन्य तकनीकी, गैर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।
5. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल–विवाह, वेश्यावृति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, सम्प्रदायवाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना। आदर्श विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।
6. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना । प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय को हर संभव सहयोग करना।
7. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।

रुबी रानी कुमारी
दि: 08/08/2016

अवर

8. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन, वितरण एवं संग्रह करना। नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना।

9. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना। असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी.बी., कालाजार, हेपेटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना।

10. समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना।

11. उर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट, सौर उर्जा, उर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

12. पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकर, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना।

13. नेत्रहीन, मूक, बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसित बच्चों, लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालन करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।

14. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकूप, तालाब, पोखरा आदि उपलब्ध कराना। औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

15. बेसहारा पशुओं को समुचित देख–रेख एवं चिकत्सिा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना।

16. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यो का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना। बाल–श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना। उनके शिक्षा, भोजन, पुनर्वास एवं सेवागृह की व्यवस्था करना।

अवर निबंधक

लाओ एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालना गृह, पौष्टिक आहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिग मधुबनीपेन्टिग, एपलिक, सौन्दर्य प्रसाधन एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।

19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भावना, धर्मनिरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना, जातीय भेद–भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का सचांलन करना।

20. वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का निदान एवं स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

वेदांत एडुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट,

का

नियमावली

1. परिभाषाएं

क. न्यास का नाम	:– वेदांत एडुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट
ख. न्यास का ट्रस्टी	:– संस्थापक/न्यासकर्त्ता मुख्य न्यासी होंगे।
ग. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी	:–संस्थापक/ न्यासकर्त्ता इस न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।
घ. पदाधिकारी	:– संस्थापक/न्यासकर्त्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष न्यास के पदाधिकारी होंगे।
ङ– प्रबंध समिति	:– पदाधिकारी सहित दो अन्य सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य होंगे।
च– वर्ष	:–01 अप्रैल से 31 मार्च तक।
छ– एक्ट	:– ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत

अवर निबंधक
दलसिंहसराय (समस्तीपुर)

सदस्यता

ट्रस्ट की सदस्यता के लिए विहित आवेदन संस्थापक/न्यासकर्त्ता के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान के लिए संस्थापक/न्यासकर्त्ता की अनुमति/स्वीकृति अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। सदस्यता पाँच प्रकार का होगा :-

1. न्यासी सदस्य- संस्थापक/न्यासकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष।
2. साधारण सदस्य कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगा और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 500 रूपये जमा कर वे न्यास के साधारण सदस्य हो सकते हैं।
3. स्थाई सदस्य- कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में 1000/- रू. अदा कर वे न्यास के स्थायी सदस्य हो सकते हैं।
4. संस्थागत सदस्य- कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे 2500/- रू. अदा कर न्यास के संथागत सदस्य बन सकते हैं।
5. संस्थापक सदस्य- जो सदस्य न्यास की स्थापना में सहायता किये हो और स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वे संस्थापक सदस्य कहे जायेंगे और सदस्यता शुल्क के रूप में उन्हें एक मुश्त 5000/- रूपये जमा करने होंगे।

दि: 08/08/2016

3. सदस्यता की समाप्ति / विमुक्ति

1. स्वयं त्यागपत्र देने पर ।
2. दिवालिया या पागल होने पर।
3. न्यास के उद्‌देश्य के विपरीत कार्य करने पर।
4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने व विपरीत आचरण पर।
5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर
6. संस्थापक/न्यासकर्त्ता द्वारा निष्काषित करने पर।

4. **न्यास का प्रबंधन**

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें पदाधिकारी सहित चार सदस्य होंगे। प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर संस्थापक/न्यासकर्त्ता को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर लें। विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति में किसी रिक्ती को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनीत किये जायेंगे।

न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यास के अधिकार निम्नलिखित होंगे :–

1. दान, चन्दा, अनुदान, ऋण, सदस्यता शुल्क, सहयोग राशि, धन, सम्पत्ति, व्यक्ति–विशेष संस्थान, स्वैच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से धन प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम सचांलित करना।
2. समय–समय पर न्यास के कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।
3. न्यास की सम्पति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर, एच.डी.एफ.सी. /आई.सी.आई.सी.आई./मल्टीनेशनल बैंक आदि में खाता खोलकर जमा करना।
4. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गाँधी फाउन्डेशन बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नवार्ड, कपार्ट, विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
5. न्यास के कोष/निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनके कल्याण के कार्यक्रमों में प्रयोग करना।
6. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति किराये/लिज/पट्टे पर लेना एवं देना।

7. न्यास के नाम से बचत/ चालू/आवर्ती/अनावर्ती/जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचालन संस्थापक/न्यासकर्त्ता या उनके द्वारा अधिकृत न्यासी के हस्ताक्षार से करना और समय–समय पर संशोधन हेतु बैंक/डाकघर को सूचित कराना।
8. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/परामर्शदाता नियुक्त करना/अधिकृत करना।
9. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/अंशकालिन वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रदद करना।
10. न्यास के उद्देश्य और नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन करना।
11. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संगठन/संस्थान में सम्बद्ध होना, सम्बद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना।
12. न्यास का स्थानान्तरण/हस्तानान्तरण करना या देना।
13. न्यास की सम्पत्ति, कोष/निधि समान उद्देश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक संगठन, न्यास/ट्रस्ट को देना।
14. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ, राज्य/जिला/प्रखण्ड/पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य / केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना।
15. न्यास के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय–व्यय लेख का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
16. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।
17. न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 5 होगी।
18. संस्थापक/न्यासकर्त्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनीत करने का अधिकार होगा। उनका कार्यकाल संस्थापक/न्यासकर्त्ता द्वारा तय किया जाएगा।
19. संस्थापक/न्यासकर्त्ता को समय–समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिए जायेंगे।

सुधीर रानी कुमारी
दि: 08/08/2016

अवर निबंधक कार्यालय

5. प्रबंध समिति का निर्वाचन :–

प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्षों पर होगा। प्रबध समिति का गठन निबंधन के पश्चात निर्वाचन के आधार पर होगा।

6. प्रबंध समिति का अधिकार :–

पाँच सदस्य संस्थापक सदस्य से निर्वाचित किए जाएंगे। शेष तीन सदस्य साधारण सदस्य, संथागत सदस्य और स्थायी सदस्यों में से निर्वाचित किए जायेंगे।

7. पदाधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य :–

1. संस्थापक/न्यासकर्त्ता

1. संस्थापक/न्यासकर्त्ता सर्वोच्च पदाधिकारी सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।
2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।
6. आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना या विवादग्रस्त परिस्थिति में संस्थापक/न्यासकर्त्ता का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जायेगी।
7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत ही किया जाएगा।
8. संस्थापक/न्यासकर्त्ता को जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।
9. संस्थापक/न्यासकर्त्ता को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सके।
10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यास के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।

अवर निबंधक

दि: 08/08/2016

11. न्यास के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

12. न्यास की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सचिव के परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।

13. न्यास के समस्त आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

14. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/प्रबंध समिति के समक्ष उपस्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश–विदेश में प्रतिनिधित्व करना।

15. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनरूप कार्य सम्पादित करना/अनुपालन करना।

16. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।

17. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति की बिना पूर्व स्वीकृति के 50,00,000/– (पचास लाख) रूपये तक खर्च करना।

18. राष्ट्रीय/राज्य/ जिला शाखा के कार्यो का पर्यवेक्षण करना।

19. संस्थापक/न्यासकर्त्ता अपना एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंकों से रूपयों का निष्कासन करना।

2. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

सचिव न्यास की एकता का प्रतीक होगा और न्यास की प्रष्ठिा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आम सभा, प्रतिनिधि सभा, असाधारण आम सभा, प्रबंध समिति तथा किसी भी समिति, उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्यायक मत देने का अधिकार होगा। असामन्य स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करना। न्यास के नियमों के प्रतिकूल कार्य वाही को रोकना। बैंक से निकासी का काम संस्थापक/न्यासकर्त्ता के सहयोग से करेंगे अर्थात बैंक से निकासी का काम संस्थापक/न्यासकर्त्ता एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

अवर निबंधक

सुधीरानी कुमारी
दि: 08/08/2016

3. कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

न्यास के कोष, रोकड़ और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष को होगा। अधिक से अधिक पाँच हजार रूपये तक न्यास के कार्यों के लिए कोषाध्यक्ष अपने पास रखेंगे। परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाकघर या बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक)में न्यास के नाम से जमा करना कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा।

4. प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होंगे –

(क) न्यास के सभी चल –अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।

(ख) न्यास के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(ग) समान उद्‌देश्यों की ट्रस्ट स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, सम्बद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(घ) जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का आवंटन करना।

(ड) प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।

(च) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(छ) किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्‌देश्यों को कुठाराघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।

(ज) न्यास के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करना।

दि: 08/08/2016

अवर निबंधक (समस्तीपुर)

प्रबंध समिति की बैठक :

1. साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।

2. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी।

3. बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।

4. स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

9. आम सभा :

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अन्त में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे।

1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संतुष्ट करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान करना।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. अंकेक्षित आय–व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
6. आगामी वर्ष के लिए आय–व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित/निर्धारित करना।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक/न्यासकर्त्ता व सचिव की अनुमति से विचार करना।

10. असाधारण बैठक :—

संस्थापक / न्यासकर्त्ता के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक / न्यासकर्त्ता की सलाह पर।

2. कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।

3. सभा / बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थापक / न्यासकर्त्ता के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक / न्यासकर्त्ता के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी।

4. आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी।

5. प्रबंध समिति के बैंठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

6. बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेष दूत से दी जायेगी।

11. मतदान

साधारण मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। परिस्थिति की माँग के अनुरूप मतदान गुप्त मतदान या हाथ उठाकर किया जा सकतो है। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक / न्यासकर्त्ता द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

अवर निबंधक

12 . कार्यकाल :

पदाधिकारियों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ताकि उन्हें पुनः निर्वाचित होने में कोई बाधा नहीं हो।

13. रिक्त पदों की पूर्ति :

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशेष कार्यकाल के लिए संस्थापक/न्यासकर्त्ता किसी भी अन्य सदस्य का मनोयन कर सकते हैं।

14. आय श्रोत :

न्यास के आय मे निम्नलिखित श्रोत होंगे–

(क) प्रवेश शुल्क

(ख) सदस्यता शुल्क।

(ग) दान व चन्दा

(घ) सरकारी/गैर सरकारी सहयोग राशि।

अवर निबंधक

दलसिंहसराय (समस्तीपुर)